न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 8/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. तेजसिंह
2. पतराम
3. बाबूलाल पुत्र सकटा

पिसरान सुखदेव — अकवाम जाटव निवासी बवेखर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार भुसावर दिनांक 15.12.2017 प्रकरण संख्या 68/2017 (91 एल आर एक्ट) सरकार बनाम तेजसिंह व अन्य।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :

1. श्री विजयसिंह कुन्तल वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार

दिनांक – 29.1.2018

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार भुसावर की आज्ञा दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत 2074 में खसरा नम्बर 235/1 रकबा 0.04 बीघा गै0मु0 रास्ता में से 0.01 बीघा रकबा वाकै बवेखर तहसील भुसावर पर अपीलान्ट्स का फसल गैहूं, सरसों बुबाई कर अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2017 पारित किया गया। जिसके तहत अतिक्रमी/अपीलान्ट को बेदखल करते हुये फसल जब्त की गई है तथा लगान 0.05 रूपये की दर से पचास गुणा पैनल्टी राशि 3/– रूपये की शास्ती आरोपित की गई है। साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये

जाने पर अपीलान्ट्स को 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से भी दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाती है। इस प्रकरण में तथाकथित रास्ता खसरा नम्बर 235/1 रकबा 4 ऐयर बतलाया गया है वह रास्ता गोविन्दसिंह पुत्र बजरंग जाति राजपूत निवासी बवेखर द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट के तहत न्यायालय उपखण्डाधिकारी भुसावर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 86/13 के आदेश दिनांक 3.9.2015 के द्वारा पारित करते हुये गोविन्द सिंह के लिये निजी रास्ता का निर्माण करने के आदेश दिये थे उस आदेश की अपील श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी पदेने राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में विचाराधीन है। इस प्रकार अभी आदेश उपखण्डाध्किाारी भुसावर अभी विवादित है तो ऐसी सूरत में एक प्राईवेट रास्ता जो कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है पर 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती बाबजूद इसके रैस्पोडेन्टस के खिलाफ 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही की गई है जो कतई उचित नहीं है। इसके अलावा खसरा नमबर 235 में बहुत सारे सहखातेदार है और खसरा नम्बर 235 पर सभी सहखातेदारान का कब्जा है मौके पर किसी भी प्रकार का रास्ता बनाया ही नहीं गया तो अकेले अपीलान्ट्स के खिलाफ कार्यवाही किया जाना गलत है। अपीलान्टस के खिलाफ की गई 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही मौके के विपरीत एवं अपीलान्ट्स की बैक पर पारित की गई है तहत अदालत ने अपीलान्टस को बिना सुने एकतरफा में मनमाना आदेश पारित किया गया है जो काबिले मंसूखी है। तहत अदालत द्वारा सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया न ही कोई नोटिस दिया और न ही अपने आदेश के प्रारम्भ में अपीलान्टस के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने की बाबत अंकन किया है मात्र आदेश के अन्तिम पैरा में अपीलान्ट्स को 90 दिवस के कारावास की सजा का आदेश पारित किया है जो प्राकृति न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। तहत अदालत ने इस बाबत कोई गौर नहीं किया गया कि सिविल करावास की सजा से पूर्व बेदखली कार्यवाही की जानी होती है और उस बेदखली कार्यवाही के आदेश की प्रमाणित प्रति पत्रावली में उपलब्ध होने पर ही सजा की कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु तहत अदालत ने ऐसा कुछ भी नहीं होते हुये आदेश जेरे अपील पारित कर दिया है जो काबिल निरस्तनीय है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्टस की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिऐ अपीलान्टस को इसकी कतई जानकारी नहीं थी। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.1.2018 को उस समय हुई जब गोविन्दसिंह ने गांव में अपीलान्टस को धमकी दी कि मेने तुम्हारी सजा करादी है अब जल्दी ही तुम्हें गिरफ्तार करा दुगां। जिस पर अपीलान्टस द्वारा वकील साहब से सम्पर्क कर दिनांक 16.1.2018 को नकल प्राप्त हुई एवं अपील की कार्यवाही की गई । नकल व जानकारी प्राप्त होने से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील बिना किसी देरी के अन्दर मियांद पेश की गई है जिसके लिये पृथक से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12. 2017 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्टस/अतिक्रमी ने फसल रबी **सम्बत 2074** में उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लघंन किया है। इसलिऐ अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया गया है। इसी तरह अपीलान्ट ने फसल खरीफ **सम्बत 2074** में भी उपरोक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था बाद कार्यवाही दिनांक 26.10.2017 को भौतिक रूप से बेदखल किया गया था । अपीलान्टस बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबध में तहसील कार्यालय रिकार्ड की जानकारी करने पर पाया कि अतिक्रमी द्वारा सम्बत 2073 फसल खरीफ में भी उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसकी रिपोर्ट प्रकरण संख्या 6/2017 पर दर्ज हुई एवं बाद कार्यवाही दिनांक 3.10.2017 को निर्णय हुआ निर्णयानुसार मौके से बेदखल कर शास्ती आरोपित की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों तथा गत रिकार्ड से वर्तमान एवं गत अतिक्रमण सिद्ध हो जाने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। जिस भूमि पर अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण कर रहा है वह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है । अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है । अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> ''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

" Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। रिकार्ड अवलोकन यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा फसल रबी **सम्बत 2074** में ग्राम बबेखर की गै0मु0 रास्ता भूमि खसरा नम्बर 235/1 रकबा 0.04 बीघा में से 0.01 बीघा रकबा पर फसल गेहूं सरसों बो कर अतिक्रमण किया गया है। इसके अलावा फसल खरीफ **सम्बत 2073** में भी उपरोक्त सार्वजनिक गै0मु0 रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जिसकी पुष्टि तहत अदालत में अपीलान्ट के खिलाफ पूर्व में दायर मुकदमा संख्या 6/2017 से हो जाती है जिसका निस्तारण दिनांक 3.10.2017 को किया जाकर अपीलान्ट को दिनांक 26.10.2017 को मौके से बेदखल किया गया था। इस प्रकार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की तारीफ में आ जाता है। उक्त तमाम तथ्यों के विपरीत वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया जिससे पैरोकार सरकार के कथनों एवं तहत रिकार्ड के अतिक्रमी एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के तथ्यों की आधारहीन होने की पुष्टि हो सके। अपीलान्ट द्वारा बार–बार उक्त सार्वजनिक रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के उल्लघंन के साथ साथ अपीलान्ट की गलत मंशा को भी दर्शाता है जो न्यायोचित नहीं है। अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की कोई विधिकत्रुटी नहीं पाते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण निरस्त योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 15.12.2017 में कोई विधिकत्रुटि प्रमाणित नही होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2018 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official